

# झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद

संख्या.....५!.....

वर्ष 20..२१..

विविधवाद / प्रथम अपील



बनाम



अपीलकर्ता श्री विवेक सिंह,  
(प्राई अटॉर्नी), राम - कजरी,  
प्राई - २, प्रखण्ड - पड़वा  
जिला - पलामू

प्रतिवादी जिला आपूर्ति थकीलकरी  
पलामू

DISPOSED  
18/07/2022

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	<p>परिवादी श्री विरेन्द्र सिंह, वार्ड सदस्य, ग्राम-कजरी, वार्ड-2, प्रखण्ड-पड़वा, जिला-पलामू का परिवाद-पत्र आयोग द्वारा जारी वाट्सएप्प नं0 पर दिनांक-06.02.2022 को प्राप्त हुआ है। जिसमें उनके द्वारा जनवितरण प्रणाली वितरक, श्री हरेन्द्र राम के विरुद्ध लाभुकों को कम राशन दिये जाने, राशन की कालाबाजारी करने, तेल एवं नमक नहीं दिये जाने, समय पर राशन नहीं दिये जाने एवं अभद्र व्यवहार किये जाने का आरोप लगाया गया है।</p> <p>आयोग के पत्रांक-WA/063/2022 दिनांक-07.02.2022 द्वारा अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को 30 दिनों के अन्दर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया एवं इसकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को भी भेजी गई थी। इस सम्बन्ध में अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू के स्तर से कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को अप्राप्त है।</p> <p>दिनांक-18.07.2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे परिसदन भवन, मेदिनीनगर में राज्य खाद्य आयोग द्वारा पलामू जिला के आयोग में विचाराधीन सभी वाद/अपीलवाद की सुनवाई किया जाना है। आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को प्रेषित ऐसे परिवाद-पत्र जिनके निष्पादन की सूचना आयोग को प्राप्त नहीं है, की भी सुनवाई पलामू परिसदन में दिनांक-18.07.2022 को किया जाए। उक्त के क्रम में परिवादी, अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अपना-अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस किया जा चुका है।</p> <p>अभिलेख दिनांक-18.07.2022 को उपस्थापित करें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">   <b>(शबनम परवीन)</b>  सदस्य,  झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,  राँची। </div> <div style="text-align: center;">   <b>(हिमांशु शंखर चौधरी)</b>  अध्यक्ष,  झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,  राँची। </div> </div>	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
18.07.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। वाद सं०-41/2022 के मामले में आज दिनांक-18.07.2022 को परिसदन भवन, मेदिनीनगर, पलामू में सुनवाई की गई।</p> <p>प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू उपस्थित हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा आज सुनवाई हेतु रखे गए मामलों से सम्बन्धित प्रतिवेदन दिया गया, जिसकी प्रति अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि परिवादी के शिकायत का समाधान कर दिया गया है। प्रथम पक्ष की अनुपस्थिति के कारण जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कथन को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               (शबनम परवीन)              सदस्या,              राज्य खाद्य आयोग, राँची।           </div> <div style="text-align: center;">               (हिमांशु शेखर चौधरी)              अध्यक्ष,              राज्य खाद्य आयोग, राँची।           </div> </div>	